UPJL010012822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–31/2026

राघवेन्द्र राजपूत उर्फ गोलू प्रति राज्य उत्तर प्रदेश,

सत्र परीक्षण संख्यारु 23/2026
राज्य प्रति सत्येन्द राजपूत उर्फ सत्तू आदि
मु0अ0सं0–700/2025
धारा–27 आयुध अधियिम
थाना–कोतवाली उरई, जिला जालौन।

31.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त राघवेन्द्र राजपूत उर्फ गोलू पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम जौराखेरा, थाना आटा, जिला जालौन की ओर से सत्र परीक्षण संख्यारु 23/2026 राज्य प्रति सत्येन्द राजपूत उर्फ सत्तू आदि मुकदमा अपराध संख्या 700/2025 धारा 27 आयुध अधियिम थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चन्द द्वारा दिनांक 04.12.2025 को थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन पर इस आशय की फर्द बरामदगी दी गयी कि दिनांक 03.12.2025 को वह अन्य सहपुलिस कर्मियों के साथ मु0अ0सं0 695/25 धारा 109, 352, 115(2) बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में मामूर होकर करमेर रोड अण्डर वाईपास पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिलने पर कि दो व्यक्ति बिना नम्बर की एच.एफ. डीलक्स मोटरसाइकिल से करमेर की तरफ से उरई आ रहे हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करके पुलिस बल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर करमेर की तरफ से आने वाले वाहनों पर नजर रखने लगे कि थोड़ी देर बाद ही एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिन्हें रूकने का इशारा किया गया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, किन्तु जिससे मोटरसाइकिल लड़खड़ाकर गिर गयी तभी उक्त लोगों ने तमंचा निकालकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिस पर प्रभारी निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक अभिनेन्द्र सिंह द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी–अपनी पिस्टल से फायर किया तो उपरोक्त व्यक्ति चिल्लाने लगे कि उनके पैर में गोली लग गयी है और दोनों व्यक्ति जमीन पर गिर पड़े इस पर पुलिस द्वारा घेरकर प्रार्थी/अभियुक्त सहित एक अन्य अभियुक्त को समय करीब 22:18 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम सत्येन्द्र राजपूत उर्फ सत्तू बताया, जिसकी जामा तलाशी से एक अद्द जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा पास ही पड़ा एक अद्द तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर फंसा हुआ पाया गया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राघवेन्द्र राजपूत उर्फ गोलू बताया, जिसकी जामा तलाशी से एक अद्द जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा पास में ही पड़ा एक अद्द तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा जमीन पर पड़ा एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्तगण तमंचा व

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2026.04.29 16:44:19 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कारतूस का लाईसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सके। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत में लिया गया तथा मौके पर ही फर्द तैयार की गयी। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता 2023 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त की मुख्य धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत दिनांक 17.01.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का चालान धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आया था, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत करा ली थी। बाद में आरोप पत्र में धारा 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर दी गयी। इस प्रार्थी/अभियुक्त ने धारा 27 आर्म्स एक्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

6. मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि उसके द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि उसका चालान धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आया था, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत करा ली थी। बाद में आरोप पत्र में धारा 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर दी गयी। चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त की मुख्य अपराध धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत दिनांक 17.01.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। अतः मेरे विचार से मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राघवेन्द्र राजपूत उर्फ गोलू पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम जौराखेरा, थाना आटा, जिला जालौन की ओर से सत्र परीक्षण संख्यारु 23/2026 राज्य प्रति सत्येन्द राजपूत उर्फ सत्तू आदि मुकदमा अपराध संख्या 700/2025 धारा 27 आयुध अधियिम थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 142/2026, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुव0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर छोड़ा जाये।

दिनांक–31.03.2026

(सतीश चन्द्र द्विवेदी)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6064